

प्रेस नोट दिनांक 26-08-2020 थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

अवैध असलहे व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण(दक्षिणी) श्री विपुल कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी बांसगांव श्री नितेश सिंह के मार्गदर्शन में थाना बांसगांव प्रभारी श्री जगत नारायण सिंह द्वारा मु0अ0सं0 595/2020 धारा 307 भादवि केपिताम्बरराम त्रिपाठी पुत्र ब्रजपतिराम त्रिपाठी निवासी ग्राम भुसवल बुजुर्ग थाना बांसगांव जनपद गोरखपुरकी गिरफ्तारी हेतु उ0नि0 श्री कमलेन्द्र सिंह थाना बांसगांव को लगाया गया था। उपरोक्त अभियुक्त को पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 26/08/2020 को समय 11.00 बजे मुखबीर की निशान देही पर ग्राम हटवार के पास दौड़ाकर पकड़ लिया गया। उपरोक्त अभियुक्त ने अपने बयान में बताया कि साहब कल रात्रि में अपने जानने वाले रामा तिवारी के घर पर उनके नाती के वर्थ डे पार्टी में मौजूद था कि नशे कि हालत में बगल में खड़े अंशु साहनी के उपर निशाना साध कर फायर कर दिया। जिससे वह घायल होकर गिर गया था। उक्त व्यक्ति की जामा तलाशी से उसके पहने हुए पजामा के दाहिने फेटे से एक अदद तमंचा 12 बोर तथा कुर्ता के दाहिने पाकेट से एक अदद खोखा व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में प्राधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहने पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध बताकर समय करीब 11.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

अभियुक्त का नाम

पिताम्बरराम त्रिपाठी पुत्र ब्रजपतिराम त्रिपाठी निवासी ग्राम भुसवल बुजुर्ग थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का समय व स्थान

ग्राम हटवार तिराहा दिनांक 27.08.2020 को समय 11.00 बजे दिन

बरामदगी

एक अदद तमंचा 12 बोर, एक अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर।

अपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 595/2020 धारा 307/120बी भादवि थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

मु0अ0सं0 596/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी में शामिल टीम-

1. उ0नि0 कमलेन्द्र सिंह थाना बांसगांव, जनपद गोरखपुर
2. हे0का0 मनीष सिंह थाना बांसगांव, जनपद गोरखपुर
3. आरक्षी अनिल सिंहथाना बांसगांव, जनपद गोरखपुर
4. आरक्षी अभिषेक कुमार थाना बांसगांव, जनपद गोरखपुर
5. आरक्षी मो0 मुस्तफाथाना थाना बांसगांव, जनपद गोरखपुर